

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 85 सीकर/2007 - 200 डि

यह प्रमाणित किया जाता है कि सरदार जैलन शिखण
राजस्थान उन लोदा पत्नी दांतारामजी जिला सीकर का राजस्थान
या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम सं. 28,1958) के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक एक नवम्बर
दो हजार सात को सीकर में दिया गया ।

दो हजार सात को सीकर में दिया गया ।



(सरदार शिखण शिखण)
रजिस्ट्रार राजस्थान
रजिस्ट्रार संस्थान, सीकर

अध्यक्ष

सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
अलोदा (सीकर)